

फर्ड अहकाम


कार्यालय सहायक कलक्टर(SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :- श्री रामलाल
केसम मुकदमा - 128 भूरा.अधि.

विपक्षी :- श्री कालु
पत्रावली संख्या : 49/21
GCMS: 2021/595

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पाटी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक : 05.07.2022</p> <p>पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण संख्या 1, 2 के सम्मन रजिस्टर्ड से करा रसीद पेश की गई। प्रकरण में प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।</p> <p>प्रार्थी द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किया जाने का निवेदन किया। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। प्रार्थी की बहस को सुना। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी की खातेदारी भूमि हैं। प्रार्थी के कथनानुसार विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पूर्व एवं पश्चिम दिशा के पड़ोसी है। इस कारण विपक्षीगण प्रार्थी की आराजी में बाड़, पैड, फसल, घास आदि को नुकसान पहुंचाते है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं हाने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं।</p> <p align="center">-: आदेश :-</p> <p>प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा भीलों की कुई पटवार हल्का वाना भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बंडगांव तहसील भीण्डर उदयपुर राज. में खसरा नम्बर 313/3 रकबा 4 बिघा भूमि के चारो दिशाओ की सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 500/- पांच सौ रूपया कमिश्नर शूल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में भू-प्रबंधन के बाद बने नये खसरा नंबरान के आधार पर पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भूगतान प्रार्थीगण अदा करेगें।</p> <p align="center">निर्णय सुनाया गया।</p>	




(रमेश सीरवी पुनाडिया RAS)
सहायक कलक्टर
(SDO) भीण्डर
सहायक कलक्टर
भीण्डर

